



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



12 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 3 राँची, मंगलवार,

2 जनवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

17 नवम्बर, 2023

आदेश सं०-5/आरोप-1-369/2014 का० 6521--श्रीमती कुमारी गीतांजली, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-76/20,) तत्कालीन अंचल अधिकारी, घाघरा, गुमला के विरुद्ध टाना भगत एवं घाघरा प्रखण्ड के आम जनता द्वारा परिवाद पत्र समर्पित किया गया, जिसमें श्रीमती कुमारी गीतांजली द्वारा टाना भगत से प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर के लिए पैसे मांगने, उनके साथ गाली-गलौज एवं अभद्र व्यवहार करने एवं जि०प० सदस्य बाँबी भगत के ऊपर झूठा मुकदमा दायर करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त परिवाद पत्र पर विभागीय पत्रांक-6094, दिनांक 11.05.2017 एवं अन्य स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, गुमला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-76, दिनांक 17.01.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि परिवाद पत्र की जाँच अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला से कराई गई है ।

जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कुमारी गीताजली का अन्यत्र स्थानान्तरण करने एवं जिप सदस्य बाँबी भगत को जमानत पर रिहा किया गया ।

अतः उपायुक्त, गुमला से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्रीमती कुमारी गीताजली, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-76/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, घाघरा, गुमला को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ परिवाद पत्र को संचिकास्त किया जाता है ।

चिन्टू दोराईबुरु,

सरकार के उप सचिव ।
